निरीक्षण आख्या **कार्यालय उपजिलाधिकारी, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 13 एवं 16 के अन्तर्गत कार्यालय उपजिलाधिकारी, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर के अवधि **11/2014** से **04/2016** तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा **श्री टी.एस. नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री ललित थपलियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सूर्य पाल, लेखापरीक्षक** द्वारा दिनांक **23.05.2016** से **24.05.2016** तक **श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी** के पर्यवेक्षण में सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

भाग-प्रथम

परिचयात्मकः- प्रथम लेखापरीक्षा।

वर्तमान में माह **11/2014** से **04/2016** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभालाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री संजय कुमार	तहसीलदार	17.11.2014	25.06.2015
2.	श्री गौरव चटवाल	तहसीलदार	25.06.2015	28.10.2015
3.	श्री बलवन्त सिंह कठायत	तहसीलदार	28.10.2015	25.04.2016
4.	श्री डी.आर. आर्या	तहसीलदार	25.04.2016	वर्तमान तक

(ब) विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः-

प्रथम लेखापरीक्षा

(1) सतत अनियमिततायेः- **शून्य**

(2) अप्रस्तुत अभिलेख :- **शून्य**

3. बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण-

(धनराशि ₹)

वर्ष	**आयोजनागत**		**आयोजनेत्तर**	
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**
2014-15	-	-	शून्य	शून्य
2015-16	-	-	शून्य	शून्य
2016-17 (04/2016)	-	-	शून्य	शून्य

नोट - *उपजिलाधिकारी, रुद्रपुर को डी0डी0ओ0 कोड आबंटित नहीं है। डी0डी0ओ0 कोड उपजिलाधिकारी, किच्छा के नाम से आबंटित है एवं तहसील, रुद्रपुर का बजट आबंटन भी तहसील किच्छा में सम्मिलित है। तहसील रुद्रपुर का बजट आबंटन शासन द्वारा पृथक से आबंटित नहीं किया गया है।*

भाग-2 'अ'

..................................शून्य....................................

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-1 विभागीय राजस्व प्राप्तियों (धनराशि ` 4.80 लाख) को शासकीय खाते में जमा न कराया जाना।

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 7 के अनुसार "All moneys received by or on behalf of the Government either as dues of Government or for deposit, remittance or otherwise, shall be brought into Government Account without delay, in accordance with such general or special rules as may be issued under Articles 150 and 283 (1) of the constitution."

इकाई के रजिस्टर सं0 04 एवं नीलामी पत्रावली, 2014-15 की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि इकाई को सीलिंग भूमि की नीलामी, कैन्टीन न पार्किंग की नीलामी से मार्च, 2015 में ` 4.08 लाख प्राप्त हुये थे। विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	विवरण	प्राप्त धनराशि (विज्ञापन खर्च घटाकर) (` में)
1.	सीलिंग भूमि की नीलामी	414704
2.	कैन्टीन की नीलामी	33406
3.	पार्किंग की नीलामी	31906

वित्तीय नियमानुसार नीलामी इत्यादि से प्राप्त उपरोक्त राजस्व प्राप्तियों को यथाशीघ्र शासकीय खाते में जमा किया जाना चाहिए था किन्तु लगभग 1½ वर्ष बाद भी उपरोक्त धनराशि तहसीलदार, रूद्रपुर के खाते में (Current Account) (खाता सं0 8739002100000042) जमा है।

इंगित करने पर इकाई द्वारा बताया गया कि लेखाशीर्षक की जानकारी न होने के कारण प्राप्त राशि को जमा नहीं किया जा सका। इसे यथाशीघ्र जमा कर दिया जायेगा।

अतः लेखापरीक्षा तिथि तक ` 4.80 लाख धनराशि की राजस्व प्राप्तियों को शासकीय खाते में जमा न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका समाधान स्थल पर नहीं किया जा सका, उन्हें पृथक से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर **कार्यालय उपजिलाधिकारी, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर** को इस आशय से प्रेषित किया जायेगा कि वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून C-1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामान्य क्षेत्र